


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2016/पौष 29, 1937

No. 50]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2016/ PAUSA 29, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 93(अ).— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:--

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 2016 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 22क में "[14,300-18,300] के अधिकतम वेतनमान" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "संयुक्त सचिव, भारत सरकार के समतुल्य" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. ए-12034/22/2015-एसएस.1]

मनीश कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 1509, तारीख 2 सितम्बर, 1952 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 666(अ), तारीख 27 अगस्त, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2016

G.S.R. 93(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 22A, for the words, letters and figures “carrying the maximum scale of pay of Rs. [14,300-18,300]”, the words “equivalent to Joint Secretary to the Government of India” shall be substituted.

[F. No. A-12034/22/2015-SS.1]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number S.R.O. 1509 dated the 2nd September, 1952 and was lastly amended *vide* notification number G.S.R. 666(E), dated the 27th August, 2015.